



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक: प.8(172)RSSB/प.आ./बेसिक/वरिष्ठ क.अनु.स.भ.प/2026/

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 07/2026 क्रमांक राजकाज 22397996 दिनांक: 22.05.2026 के द्वारा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:-

क्र.स.	परीक्षा का नाम (Name of Examination)	परीक्षा दिनांक	प्रश्न पत्रों की संख्या	परीक्षा समय
1.	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026	22.08.2026 (शनिवार)	02	प्रातः 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक अपराह्न 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
2	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026	23.08.2026 (रविवार)	02	प्रातः 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक अपराह्न 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक

परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र एवं प्रश्न-पत्र हेतु आवश्यक निर्देश :-

- उक्त तालिका में अंकित परीक्षाओं के अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र हेतु आवंटित जिले की सूचना दिनांक: 14.08.2026 से स्वयं की SSO ID से देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र दिनांक: 19.08.2026 से स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र वेबसाइट <https://recruitment.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार है :-
 1. Enter Url <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard>
 2. Click on Get Admit Card Option.
 3. Click on Get Admit Card Option of Recruitment to download the admit card.
 4. Enter Your Application number and DOB
- उक्त परीक्षा में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट एवं ओएमआर शीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश :-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
- अभ्यर्थी यदि आवंटित परीक्षा केन्द्र में किसी भी पद पर नियुक्त/कार्यरत है तो इसकी सूचना तत्काल आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को देवे ताकि परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सके। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
- अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं इसके पश्चात् किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।

7. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग-अलग (जो Merge, Morphed एवं Tampered किया हुए न हो तथा एक माह से अधिक पुराने न हो। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जाँच की जावेगी) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पेन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
8. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी (Frisking Agency/Biometrics Device) से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें। परीक्षार्थी Frisking/Biometrics कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपने रोल नम्बर को चेक कर अपने आवंटित कक्ष में बैठें। परीक्षा केन्द्र परिसर में इधर-उधर नहीं घूमें।
9. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पेनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, क्लाइटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
10. परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक देय होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है, उससे संबंधित दिशा-निर्देश(आदिनांक) एवं Appendix A, B, C, D & E बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जावे:-
 - I. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी व श्रुतलेखक के वचन पत्र Appendix A & B पर तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केन्द्राधीक्षक को कम से कम 01 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
 - II. बोर्ड के माध्यम से श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने हेतु अभ्यर्थी को 02 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्राधीक्षक दिशा-निर्देशानुसार परीक्षण/जांच कर श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध करायेंगे।
 - III. निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: F.10(6)(5)/Legal/DSAP/GEN/2022-02168/23987 दिनांक: 20.01.2025 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दिन ही स्वयं का सहायक लेकर आते हैं तो उस दिन उनसे शपथ पत्र भरवाकर अनुमति दी जानी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके अनुसार पूर्णतया पालना की जावे।
11. श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्ती परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे की होना आवश्यक है तथा वो ही श्रुतलेखक अनुमत होंगे जिन्होंने पूर्व में श्रुतलेखक का कार्य नहीं किया हो। अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक दोनों को अपने अपने वचन पत्र में इस बात का उल्लेख करना होगा।
12. अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाये उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव (Appropriate pressure) के साथ भरे ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव (Clear impression) आ जावे।
13. यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत कक्ष/सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो उसे अपात्र एवं अग्रिम परीक्षाओं में डिबार भी किया जा सकता है। इसलिये परीक्षार्थी अपने ई-प्रवेश पत्र से रोल नम्बर की सभी डिजिट्स देखकर अच्छे से मिलान कर सही सीट एवं सही रोल नम्बर पर ही बैठना सुनिश्चित करें।
14. परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH, Sportsman, Divorcee, Widow या Caste certificate गलत तरीके से बनवाये हों, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
15. यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के एक से ज्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हैं और वो एक से ज्यादा पारी में परीक्षा देने आता है तो बायोमैट्रिक्स में पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

16. यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने ही नाम से इस परीक्षा में बैठ रहा है तो उसको परीक्षा से **Debar** किया जाकर नियमानुसार पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
17. परीक्षा केन्द्र पर यदि **Frisking** के दौरान आपके पास मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस पाया जाता है, तो इसे कानूनी जुर्म माना जाकर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं आपके खिलाफ नियमानुसार पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेसकोड :-

18. बोर्ड की परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार **ड्रेस कोड** की पालना किया जाना होगा:-

ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है	ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है
<p>1. पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान यथा पूरी/आधी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहन कर आयेंगे।</p> <p>2. महिला अभ्यर्थी सामान्य परिधान यथा सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैंड लगा कर आवेंगी।</p> <p>3. अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहन कर आ सकते हैं। किन्तु अभ्यर्थी को आवश्यकता पडने पर जांच के समय उन्हें उतरवाकर जांच करवानी होगी।</p> <p>4. परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी।</p> <p>5. सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कण्ठी जिसमें किसी प्रकार का मेटल ना हो।</p> <p>6. हवाई चप्पल (स्लीपर), सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी।</p> <p>7. यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आता है जिसमें किसी प्रकार का मेटल लगा हुआ ना हो तो उससे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जावे। शंका होने पर उसकी गहन जाँच कर सुनिश्चित किया जावे कि उनमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस तो नहीं छुपाया गया है तत्पश्चात् परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।</p> <p>8. गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: प.27(14) गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 एवं प.27(14)गृह-1/2008(25858) दिनांक: 29.07.2025 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जाँच के लिए परीक्षा केन्द्र पर</p>	<p>1. परीक्षार्थियों को मुख्यतः Wrist Watch, Smart Watch, Bluetooth Device, Calculator, Mobile या अन्य कोई भी Electronic Device या किसी भी प्रकार का यंत्र जिससे Communication किया जा सके या जो परीक्षार्थी को पेपर लीक करने में अनुचित मदद करे ऐसी हर वस्तु पर पाबंदी होगी। अतः जाँच एजेन्सी ड्रेस कोड की गहन जाँच करेगी।</p> <p>2. पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जाँच (महिला अभ्यर्थी की जाँच महिला अधिकारी/कार्मिक द्वारा) करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात् परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन-पत्र भरवाया जायेगा।</p> <p>3. अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>4. किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।</p> <p>5. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जरकिन, ब्लेजर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>6. यदि किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान Bluetooth Device, Calculator, Smartwatch, Mobile phone या कोई भी हथियार चाकू इत्यादि पाया जाता है तो ये माना जायेगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया है और उसे उस परीक्षा से अपात्र करने के साथ जाँच पश्चात नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।</p>

ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है	ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है
दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों के उक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण Device ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।	

नोट: उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा।

यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े केन्द्राधीक्षक का निर्णय मान्य होगा।

परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून :-

- परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।
- परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है।
- परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

सचिव

क्रमांक: प.8(172)RSSB/प.आ./बेसिक/वरिष्ठ क.अनु.स.भ.प/2026/
प्रतिलिपि:

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ RSSB को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करायें।
- रक्षित पत्रावली।

सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Preeti Mathur

Designation : Secretary

Date :11-08-2026 05:55:17

RajKaj Ref No.:
23946443